प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक सेवा 3374/2010

याचिककर्ता **डॉ सुबोध देवांगन**

बनाम

प्रतिवादी **छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य**

-

रिट याचिका क्रमांक सेवा 3380/2010

-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिककर्ता **बुधेश्वर प्रसाद सिंगरौल ऐवं अन्य**

बनाम

उत्तरवादी **छत्तीसगढ़ राज्य ऐवं अन्य**

भारत के संविधान के अनुछेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका

युगलपीठ : माननीय न्यायमूर्ति श्री आई.ऐम कुदूसी

माननीय न्यायमूर्ति श्री ऐन के अग्रवाल

उपस्तीथ श्री आर.एस पटेल एवं श्री अनुराग दयाल श्रीवास्तव

अधिवक्तगण याचिककर्ता की ओर से।

श्री विनय हरीत उप महाधिवक्ता एवं श्री सूर्यकांत मिश्रा

पैनल अधिवक्ता राज्य शासन की ओर से।

मौखिक आदेश

(10 अगस्त 2010 को पारित)

आई.एम. क़ुद्दूसी, न्यायाधीश के अनुसार

1. इस सामान आदेश के द्वारा, **रिट याचिका संख्या 3374 /2010 और 3380/2010** का निराकरण किया जा रहा है, क्योंकि दोनों रिट याचिकाओं में समान तथ्य और मुद्दे शामिल हैं।

2. इन रिट याचिकाओं के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित अनुतोष की प्रार्थना की :

10.1 यह माननीय न्यायालय कृपया उत्तरवादियों से अभिलेख मंगाए

10.2 यह माननीय न्यायालय कृपया उतप्रेशण रिट जारी करे तथा "छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा (संविदा सेवा) नियम, 2010 दिनांक 15.06.2010 (अनुबंध पी/2) को रद्द करे और इसे अधिकारातीत घोषित करे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10.3 यह माननीय न्यायालय कृपया उतप्रेशण **रिट** जारी कर प्रतिवादियों द्वारा दिनांक 11.06.2010 का विज्ञापन, जो 16.06.2010 को प्रकाशित हुआ था (अनुबंध पी/1), रद्द करे , जो छत्तीसगढ़ राज्य में विभिन्न विषयों के लिए संविदा आधार पर सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति हेतु प्रकाशित किया गया था।

10.4 सादर प्रार्थना है कि यह माननीय न्यायालय कृपया याचिकाकर्ताओं को **शिक्षा कर्मियों** के रूप में आयु में छूट देने के लिए उत्तरदाताओं को निर्देश देने हेतु **परमादेश** जारी करने की कृपा करें।"

10.5 सादर प्रार्थना है कि यह माननीय न्यायालय तथ्यों और परिस्थितियों के अनुरूप उचित आदेश पारित करने अथवा उपयुक्त **रिट** जारी करने की कृपा करें और वाद व्यय याचिकाकर्ताओं को प्रदान करने का भी आदेश दें।"

3. सर्वप्रथम यह उल्लेख करना आवश्यक है कि भारतीय संविधान की अनुसूची-7 की **सूची-I** में **प्रविष्टि संख्या 66** अर्थात् "उच्च शिक्षा या अनुसंधान संस्थानों तथा वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थानों में मानकों का समन्वय और निर्धारण" संघ की विषय वस्तु है और इसी के अंतर्गत संघ ने **विश्वविद्यालय अनुदान**

आयोग (संक्षेप में 'यू जी सी ') अधिनियम, 1956 लागू किया है।इसके अलावा, अनुसूची-7 की **सूची-III** अर्थात् समवर्ती सूची में **प्रविष्टि संख्या 25** शिक्षा से संबंधित है, जिसमें तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और विश्वविद्यालय सम्मिलित हैं, किन्तु यह प्रविष्टि **सूची-I की प्रविष्टि संख्याएँ 63, 64, 65 और 66** के प्रावधानों के अधीन है। उक्त प्रविष्टियाँ निम्नानुसार हैं:

63. इस संविधान के प्रारंभ होने पर जिन संस्थानों को जाना जाता था, वे हैं –

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय; तथा कोई अन्य संस्थान जिसे संसद ने कानून द्वारा **राष्ट्रीय महत्व का संस्थान** घोषित किया हो।

64. वैज्ञानिक या तकनीकी शिक्षा के संस्थान जो भारत सरकार द्वारा पूर्णतः या आंशिक रूप से वित्तपोषित हैं और जिन्हें संसद ने कानून द्वारा **राष्ट्रीय महत्व का संस्थान** घोषित किया हो।

65. केंद्रीय एजेंसियाँ और संस्थान:

(a) व्यावसायिक, पेशेवर या तकनीकी प्रशिक्षण के लिए, जिसमें पुलिस अधिकारियों का प्रशिक्षण भी शामिल है; या

(b) विशेष अध्ययन या अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए; या

(c) अपराध की जाँच या पहचान में वैज्ञानिक या तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए

66. उच्च शिक्षा या अनुसंधान संस्थानों तथा वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थानों में मानकों का समन्वय और निर्धारण।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अतः, **अनुसूची-7 की सूची-I में प्रविष्टि संख्या 63 से 66** के संबंध में संघ द्वारा बनाया गया कानून राज्य पर बंधनकारी है और राज्य द्वारा उन प्रविष्टियों के संबंध में संसद द्वारा बनाए गए कानून के विपरीत कोई कानून नहीं बनाया जा सकता।

4. यू जी सी अधिनियम निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ बनाया गया था:

1. "भारतीय संविधान संसद को **उच्च शिक्षा या अनुसंधान संस्थानों तथा वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थानों में मानकों के समन्वय और निर्धारण** के संबंध में विशेष अधिकार प्रदान करता है। यह स्पष्ट है कि जब तक केंद्रीय सरकार को विश्वविद्यालयों (पुराने और नए दोनों) में शिक्षा और परीक्षा के मानकों के निर्धारण में कुछ भूमिका नहीं होगी, तब तक न तो समन्वय और न ही मानकों का निर्धारण संभव है। यह भी आवश्यक है कि उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। इस समस्या की गंभीरता और बढ़ गई है। हाल के

समय में विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ाने की प्रवृत्ति के कारण यह आवश्यकता और भी अधिक महसूस की जा रही है कि एक विधिवत् गठित आयोग हो, जो **केंद्रीय सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों को उपलब्ध कराई गई निधियों के निर्धारण एवं आवंटन** का कार्य कर सके। इस कारण से ऐसे आयोग की स्थापना अत्यंत आवश्यक हो गई है।

2. अतः यह प्रस्ताव किया गया है कि एक **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग** की स्थापना एक **कॉरपोरेट निकाय** के रूप में की जाए, जो विश्वविद्यालयों की **आर्थिक आवश्यकताओं की जाँच** कर सके तथा विश्वविद्यालयों को **सामान्य या विशेष प्रयोजन हेतु अनुदान का आवंटन और वितरण** कर सके। आयोग को यह अधिकार भी होगा कि वह किसी भी विश्वविद्यालय को **शिक्षा सुधार और उन्नयन हेतु आवश्यक उपायों की अनुशंसा** करे तथा विश्वविद्यालय को उन अनुशंसाओं के कार्यान्वयन के संबंध में परामर्श दे यह आयोग विश्वविद्यालयों में **सुविधाओं के समन्वय और मानकों के रखरखाव** से संबंधित समस्याओं पर **केंद्र सरकार को विशेषज्ञ परामर्श** देने वाले निकाय के रूप में भी कार्य करेगा। आयोग को, संबंधित विश्वविद्यालय से परामर्श के उपरांत, भारत में किसी भी विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय का **निरीक्षण या जाँच कराने** और उस जाँच या निरीक्षण के विषय पर विश्वविद्यालय को परामर्श देने का भी अधिकार होगा। इसके अतिरिक्त, आयोग को (यदि ऐसा परामर्श मांगा जाए) **नए विश्वविद्यालयों की स्थापना के संबंध में परामर्श देने** का भी अधिकार होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. इस विधेयक का उद्देश्य यह भी है कि **'विश्वविद्यालय' शब्द के प्रयोग तथा डिग्री प्रदान करने के अधिकार** को केवल उन्हीं संस्थानों तक सीमित किया जाए जो भारत में विधि द्वारा विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हों या जिन्हें संसद द्वारा बनाए गए किसी अधिनियम द्वारा ऐसा करने का अधिकार प्रदान किया गया हो। किसी व्यक्ति या कॉरपोरेट निकाय द्वारा इन प्रावधानों का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान भी किया गया है।

4. यद्यपि इस विधेयक के प्रावधान उन उच्च शिक्षा संस्थानों पर लागू नहीं होंगे जो विश्वविद्यालय नहीं हैं, तथापि **केंद्र सरकार को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह राजपत्र में अधिसूचना जारी कर किसी भी उच्च शिक्षा संस्थान को इस विधेयक के प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय घोषित कर सके।**

5. इस प्रकार, उद्देश्यों की पूर्ति हेतु, **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम** की **धारा 26** में एक प्रावधान किया गया है, जो आयोग को निम्नलिखित विषयों पर **विनियम** बनाने का अधिकार प्रदान करता है—

(a) आयोग की बैठकों के संचालन तथा वहाँ किए जाने वाले कार्यों की प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए;

(b) धारा 9 के अंतर्गत जिन व्यक्तियों को आयोग से सम्बद्ध किया जा सकता है, उनकी संबद्धता की प्रक्रिया तथा उद्देश्यों को विनियमित करने के लिए;

(c) आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों की सेवा की शर्तों और नियमों को निर्दिष्ट करने के लिए;

(d) उन संस्थानों या संस्थानों के वर्ग को निर्दिष्ट करने के लिए जिन्हें धारा 2 के उपखंड (f) के अंतर्गत आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त की

(e) विश्वविद्यालय के शिक्षण कर्मियों के पदों पर नियुक्त किए जाने हेतु साधारणतः अपेक्षित योग्यताओं को परिभाषित करने के लिए, जिसमें उस शिक्षा शाखा का विचार किया जाए जिसमें संबंधित व्यक्ति को अध्यापन करना है;

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(f) किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा डिग्री प्रदान करने के लिए आवश्यक न्यूनतम शिक्षण मानकों को परिभाषित करने के लिए;

(g) विश्वविद्यालयों में मानकों के रखरखाव तथा कार्य या सुविधाओं के समन्वयन को विनियमित करने के लिए;

(h) धारा 12 के उपखंड (ccc) में उल्लिखित संस्थानों की स्थापना तथा ऐसे संस्थानों से संबंधित अन्य विषयों को विनियमित करने के लिए;

(i) उन विषयों को निर्दिष्ट करने के लिए जिनके संबंध में महाविद्यालय द्वारा शुल्क लिया जा सकता है तथा शुल्क की दरें या मापदंड तय करने के लिए, जैसा कि धारा 12A की उपधारा (2) में वर्णित है;

(j) यह निर्धारित करने के लिए कि धारा 12A की उपधारा (4) के अंतर्गत जांच किस प्रकार की जा सकती है।

6. तदनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने **"विश्वविद्यालयों तथा उनसे संबद्ध संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति एवं कैरियर उन्नयन हेतु आवश्यक न्यूनतम योग्यता विनियम, 2009 (तृतीय संशोधन)"** नामक विनियम बनाए।

उक्त संशोधन **दिनांक 11.07.2009** से प्रभावशील हुआ, जिसके अनुसार निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किए गए—

"विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थानों में प्राध्यापकों की नियुक्ति एवं भर्ती हेतु **नेट /स्लेट** न्यूनतम पात्रता शर्त बनी रहेगी।
तथापि, ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें **"विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (पी.एच.डी. उपाधि प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम, 2009"** के अनुरूप **पी.एच.डी. उपाधि** प्रदान की गई है या की जा चुकी है, उन्हें विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थानों में **सहायक प्राध्यापक** अथवा समकक्ष पदों की भर्ती एवं नियुक्ति से **मुक्ति** प्राप्त होगी।"

---

7. परंतु, **छत्तीसगढ़ राज्य शासन** ने **"छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा (संविदा सेवा) नियम, 2010"** (संक्षेप में '**नियम, 2010**') नामक नियमावली राज्यपाल, छत्तीसगढ़ के नाम एवं आदेश से अधिनियमित की, जो **दिनांक 15.06.2010** से प्रभावशील हुई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

ये नियम **केवल संविदात्मक** नियुक्तियों के उद्देश्य से बनाए गए हैं।

नियम 6 में नियुक्ति हेतु पात्रता एवं योग्यता निम्नानुसार दी गई है—

"6. नियुक्ति हेतु पात्रता एवं योग्यता –

(1) अभ्यर्थी के पास संबंधित विषय में किसी भारतीय या विदेशी विश्वविद्यालय से **कम से कम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर** उपाधि या उसके समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को **5% अंकों की छूट** प्रदान की जाएगी।

(2) अभ्यर्थी ने **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग** या **वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद** द्वारा आयोजित **नेट परीक्षा** अथवा राज्य शासन द्वारा आयोजित **सेट परीक्षा** उत्तीर्ण की होनी चाहिए।

परंतु, जिन अभ्यर्थियों के पास **पी.एच.डी. उपाधि** है, उन्हें उक्त परीक्षा से **मुक्ति** प्रदान की जाएगी और वे **स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर** पर अध्यापन के लिए पात्र होंगे।

और यह भी प्रावधानित है कि, जिन अभ्यर्थियों के पास **एम.फिल. उपाधि** है, उन्हें भी उक्त परीक्षा से **मुक्ति** प्राप्त होगी, परंतु वे केवल **स्नातक स्तर** पर अध्यापन के लिए पात्र होंगे।"

टिप्पणी : (a) उपरोक्त आवश्यक योग्यताएँ **आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक** प्राप्त कर ली जानी चाहिए। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि के पश्चात् अर्जित की गई कोई भी शैक्षणिक योग्यता **स्वीकार्य नहीं की जाएगी**, तथा आवेदन पत्र एक बार प्रेषित किए जाने के पश्चात् उसमें किसी प्रकार का **संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी**।

(b) यदि **आदिवासी उप-परियोजना क्षेत्र** में **नेट / सेट / पी एच डी / एम. फिल .** योग्यताधारी की अनुपलब्धता की दशा में **स्नातकोत्तर स्तर पर प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की गई प्राविण्य सूची** के अनुसार चयन किया जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. माननीय **उच्चतम न्यायालय** ने **प्रेम चंद्र जैन एवं अन्य बनाम आर के छाबरा (AIR 1984 SC 981)** के मामले में, अनुच्छेद 8 में निम्नलिखित अवलोकन किया—

"8. 'शिक्षा, जिसमें विश्वविद्यालय सम्मिलित हैं', संविधान के **42वें संशोधन (वर्ष 1976)** से पूर्व तक **राज्य सूची** का विषय थी। उक्त संशोधन के पश्चात इसे राज्य सूची से हटाकर **समवर्ती सूची** की प्रविष्टि 25 में सम्मिलित किया गया।

परंतु, जैसा कि पूर्व में स्पष्ट किया गया है, उक्त अधिनियम का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालयों में **मानकों के समन्वय** तथा **निर्धारण** हेतु प्रावधान करना था, और यह विषय पूर्णतः **सूची-I** की **प्रविष्टि 66** के अंतर्गत आता है।

संसद ने, उक्त प्रविष्टि से संबंधित विषय पर विधि निर्माण करते हुए और **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग** की स्थापना करते समय, एक **नियामक उपाय** के रूप में

यह आवश्यक समझा कि बिना विधिक मान्यता के किसी संस्था द्वारा **डिग्री या डिप्लोमा प्रदान करने** तथा ऐसे संस्थान द्वारा **'विश्वविद्यालय'** शब्द के उपयोग को प्रतिबंधित किया जाए, जो किसी विशेष अधिनियम द्वारा न तो स्थापित किए गए हों और न ही अधिनियमित।

..... जब तक कोई विधेयक अपने **वास्तविक उद्देश्य और सार** में **संवैधानिक रूप से अनुमत क्षेत्राधिकार** के अंतर्गत आता है, तब तक यह आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी कि उस विधेयक में ऐसा कोई प्रावधान भी सम्मिलित है जो यद्यपि मुख्य उद्देश्य से संबद्ध है, परंतु उसका कुछ अंश अन्य विषय से संबंधित है।

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई निर्णयों में यह मत व्यक्त किया है कि यदि कोई विधि अपने **संविधान प्रदत्त अधिकार** के अंतर्गत आती है, तो केवल इस कारण से वह **अवैध** नहीं मानी जा सकती कि उसका कुछ भाग संयोगवश किसी अन्य विधायिका की अधिकाररीता को अधिगृहीत करता है।"

9. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **उस्मानिया विश्वविद्यालय शिक्षक संघ बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य** (AIR 1987 SC 2034) के मामले में, **आंध्र प्रदेश उच्च शिक्षा आयुक्त अधिनियम, 1986** की संवैधानिक वैधता पर विचार किया, जिसमें यह प्रश्न प्रमुख था कि यह अधिनियम संविधान की सातवीं अनुसूची की **सूची-I की प्रविष्टि 66** के अंतर्गत आता है या **सूची-III (समवर्ती सूची) की प्रविष्टि 25** के अंतर्गत। इस संदर्भ में माननीय न्यायालय ने अनुच्छेद 23 एवं 24 में निम्नलिखित निर्णय दिया—

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> **23.** यह देखा गया कि आयुक्त कार्यालय ने वस्तुतः विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक कार्यक्रमों तथा गतिविधियों को अपने अधीन ले लिया है। विश्वविद्यालय अब अप्रासंगिक या लगभग निष्प्रभावी हो गए हैं। इस विवेचना से यह स्पष्ट है कि आयुक्त कार्यालय अधिनियम की रूपरेखा मूलतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के समान ही है। आयुक्त कार्यालय अधिनियम में कुछ अतिरिक्त प्रावधान भी सम्मिलित किए गए हैं, परन्तु दोनों ही अधिनियम समान विषय से संबंधित हैं। दोनों का उद्देश्य विश्वविद्यालयों में शिक्षण और परीक्षाओं के मानकों के समन्वय तथा उत्कृष्टता के निर्धारण से संबंधित है। यद्यपि कुछ शब्दों या वाक्यों में अंतर पाया जा सकता है, किन्तु उनका भावार्थ समान है। यह वैसा ही है जैसे किसी व्यक्ति को भिन्न-भिन्न नामों या उपाधियों से संबोधित किया जाए, पर वह व्यक्ति एक ही हो। विधायिका की वास्तविक मंशा को पूरे अधिनियम को एक साथ पढ़कर ही समझा जा सकता है यह सिद्धांत अब विधि-व्याख्या के क्षेत्र में दृढ़ रूप से स्थापित है। उच्च न्यायालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम का पूर्ण अध्ययन कर उसकी तुलना आयुक्त कार्यालय अधिनियम से की

होती अथवा इसके विपरीत, तो वह ऐसी त्रुटि में न पड़ता।

24. *प्रेमचंद जैन बनाम आर. के. छाबड़ा* (1984) 2 एस.सी.आर. 883 (ए.आई.आर. 1984 एस.सी. 981) के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिप्रेत किया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, सूची–I की प्रविष्टि 66 के अंतर्गत आता है। इस स्थिति में यह विचार करना भी असंभव है कि राज्य, सूची–III की प्रविष्टि 25 के अंतर्गत कोई समानान्तर अधिनियम पारित कर सके, जब तक कि वह सूची–I की प्रविष्टि 66 के क्षेत्र को अधिक्रमित न करे। ऐसा अधिक्रमित प्रत्यक्ष एवं स्पष्ट है। अतःआयुक्त कार्यालय अधिनियम राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता से परे है और इसे शून्य तथा अप्रभावी घोषित किया जाता है।

10. *दिल्ली विश्वविद्यालय बनाम राज सिंह एवं अन्य* (1994 Supp (3) एस.सी.सी. 516) के प्रकरण में प्रतिवादी ने वाणिज्य विषय में व्याख्याता के पद हेतु दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध तीन महाविद्यालयों में आवेदन किया था। उसे साक्षात्कार हेतु नहीं बुलाया गया। इस पर उसने एक रिट याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि अपीलकर्ता/विश्वविद्यालय को विज्ञापन में यह उल्लेख करना चाहिए था कि अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अधिसूचित "विश्वविद्यालयों एवं उनसे संबद्ध संस्थानों के शिक्षण पदों पर नियुक्ति हेतु आवश्यक योग्यताएँ, 1991" विनियमों में निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए। उच्च न्यायालय ने उक्त विनियमों को वैध एवं अनिवार्य माना तथा अपीलकर्ता/दिल्ली विश्वविद्यालय को यह निर्देश दिया कि वह स्वयं एवं अपने संबद्ध महाविद्यालयों में व्याख्याताओं का चयन उन्हीं विनियमों के अनुसार करे। अपील पर विचार करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित अभिप्राय व्यक्त किया:

> "19. दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम उस समय अस्तित्व मे था जब संसद ने सूची-I की प्रविष्टि 66 के अंतर्गत यूजीसी अधिनियम बनाया। यह मान लिया जाना चाहिए कि संसद को दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी थी जब उसने यूजीसी अधिनियम पारित किया, विशेष रूप से क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंधित विधेयक बनाने की शक्ति संसद को सूची-I की प्रविष्टि 63 के अंतर्गत प्राप्त थी। दिल्ली विश्वविद्यालय और वे अन्य विश्वविद्यालय जो प्रविष्टि 63 के अंतर्गत आते हैं, उन्हें समन्वय तथा मानकों के निर्धारण के संदर्भ

में यूजीसी के विनियमन के अधीन जानबूझकर रखा गया था। यह बात यूजीसी अधिनियम की धारा 2(f) में 'विश्वविद्यालय' की परिभाषा द्वारा स्पष्ट कर दी गई थी। कोई अन्य दृष्टिकोण अपनाना प्रविष्टि 63 के अंतर्गत आने वाले विश्वविद्यालयों के संबंध में न केवल यूजीसी अधिनियम बल्कि प्रविष्टि 66 को भी निष्प्रभावी बना देगा। यह तर्क कि यूजीसी अधिनियम की धारा 2(f) में 'विश्वविद्यालय' की परिभाषा को यूजीसी अधिनियम के संपूर्ण रूप में नहीं बल्कि केवल उन प्रावधानों के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए जो वित्तपोषण से संबंधित हैं, अस्वीकार किया जाना चाहिए। यदि इस तर्क में कोई बल होता कि प्रविष्टि 66 केवल उन संस्थानों पर लागू होती है जो प्रविष्टि 63 में उल्लिखित नहीं हैं, तो यूजीसी अधिनियम संपूर्ण रूप से दिल्ली विश्वविद्यालय पर लागू नहीं होता और परिणामस्वरूप दिल्ली विश्वविद्यालय को इसके अंतर्गत कोई अनुदान प्राप्त करने का अधिकार भी नहीं होता। यही कारण है कि यूजीसी अधिनियम के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने के लिए, परंतु उसके दायित्वों से बचने के लिए, यह तर्क इतनी सावधानीपूर्वक प्रस्तुत किया गया है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***दिल्ली विश्वविद्यालय बनाम राज सिंह एवं अन्य*** (पूर्ववर्ती) मामले में, प्रविष्टि 66 के दायरे पर विचार करते हुए — जिसका परीक्षण ***उस्मानीय यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसीएसन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य*** **(उपर्युक्त) में किया गया था — अनुच्छेद 21 में निम्नलिखित रूप में निर्णय दिया :**

'21. अब हम उक्त विनियमों का विश्लेषण करते हैं। ये विनियम ऐसे विश्वविद्यालयों पर लागू होते हैं जो किसी केंद्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित या निगमित किए गए हों; प्रत्येक संस्था पर, जिसमें संबंधित विश्वविद्यालय के परामर्श से यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त कोई घटक या संबद्ध महाविद्यालय शामिल हो; तथा प्रत्येक संस्था पर जिसे विश्वविद्यालय माना गया हो। इस प्रकार ये विनियम यथासंभव व्यापक अनुप्रयोग हेतु बनाए गए हैं, जैसा

कि उनका उद्देश्य भी यही है — अर्थात यह सुनिश्चित करना कि व्याख्याता पद हेतु आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी, चाहे उन्होंने न्यूनतम योग्यता डिग्री किसी भी विश्वविद्यालय से प्राप्त की हो, यह प्रमाणित करें कि वे देश के सभी विश्वविद्यालयों में व्याख्याताओं के लिए आवश्यक दक्षता रखते हैं। यही बात उक्त विनियमों के खंड 2 में निर्दिष्ट की गई है, जो इस प्रकार है :

> "कोई भी व्यक्ति विश्वविद्यालय में किसी विषय के शिक्षण पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा, यदि वह अनुसूची-I में उल्लिखित संबंधित विषय के लिए निर्धारित योग्यता की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता।" उक्त विनियमों की धारा के प्रथम उपबंध में भी यही प्रावधान निहित है।'"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने *प्रो. यशपाल एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य* (2005) 5 एस.सी.सी. 420 में यह निर्णय दिया कि संवैधानिक योजना को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि संसद द्वारा बनाए गए अधिनियम — अर्थात यूजीसी अधिनियम — अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सके और यूजीसी अपनी कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर सके। इस दृष्टि से राज्य द्वारा बनाया गया कोई अधिनियम केंद्र सरकार के विधान के साथ टकराव उत्पन्न न करे और न ही उसके कार्यान्वयन में कोई बाधा या अवरोध उत्पन्न करे।

13. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने *अन्नामलाई विश्वविद्यालय बनाम सचिव, सूचना एवं पर्यटन विभाग, सरकार तथा अन्य* में यह निर्णय दिया कि यूजीसी अधिनियम संसद द्वारा संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-I की प्रविष्टि 66 के अंतर्गत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए बनाया गया था, जबकि ओपन यूनिवर्सिटी अधिनियम संसद द्वारा सूची-III की

प्रविष्टि 25 के अंतर्गत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए बनाया गया था। अतः इन दोनों अधिनियमों के प्रावधानों के बीच विरोधाभास का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

यह सत्य है कि मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम की उद्देश्यों और कारणों की विवेचना यह दर्शाती है कि औपचारिक शिक्षा प्रणाली शिक्षा के अवसरों की समानता प्रदान करने का प्रभावी साधन नहीं बन सकी थी। यह प्रणाली, अन्य बातों के साथ-साथ, कक्षाओं में उपस्थिति के संबंध में कठोर थी। विषयों के संयोजन भी अनम्य थे। तथापि, शिक्षा के मानक सुनिश्चित करने के विषय में, मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत परिकल्पित वैकल्पिक प्रणाली, औपचारिक प्रणाली का प्रतिस्थापन नहीं थी। औपचारिक एवं अनौपचारिक प्रणाली के बीच भेद उस विधि और तरीके में निहित है जिसके माध्यम से शिक्षा दी जाती है। यूजीसी अधिनियम विश्वविद्यालयों में समन्वय तथा मानकों के निर्धारण को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बनाया गया था। जिस आशय और उद्देश्य से यह अधिनियम पारित किया गया है, उसे पूर्ण रूप से प्रभावी किया जाना चाहिए। यूजीसी अधिनियम के प्रावधान सभी विश्वविद्यालयों पर, चाहे वे पारंपरिक हों या मुक्त विश्वविद्यालय, बाध्यकारी हैं। इसके अधिकार अत्यंत व्यापक हैं।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. उपर्युक्त नियम 6 के उपबंध का सराल पाठन यह दर्शाता है कि एम.फिल उपाधि प्राप्त अभ्यर्थियों को एनईटी/एसईटी परीक्षा से छूट प्रदान की जाएगी तथा वे केवल स्नातक स्तर तक अध्यापन के लिए पात्र होंगे। यह व्यवस्था, उपर्युक्त उद्धृत यूजीसी अधिनियम की धारा 26 के अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अनुरूप नहीं है। तथापि, बहस के दौरान हमें राज्य की ओर से उपस्थित माननीय उपमहाधिवक्ता श्री हरित द्वारा यह जानकारी दी गई कि निर्देशानुसार नियमित नियुक्ति हेतु परीक्षा पहले ही संपन्न कराई जा चुकी है तथा कुछ विषयों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं और कुछ विषयों के परिणाम प्रक्रिया में हैं।"

15. अतः हमारा मत है कि संविदा नियुक्ति किए जाने के लिए, उपर्युक्त उद्धृत नियम, 2010 के प्रावधानों में संशोधन किया जाना चाहिए तथा उन्हें यूजीसी द्वारा विनियम, 2009 में निर्धारित मानकों के अनुरूप रखा जाना चाहिए, जैसा कि वर्ष 2009 में संशोधित किया

गया था। परंतु इस समय, सत्र के मध्य में, हम यह नहीं चाहते कि राज्य में शिक्षा व्यवस्था बाधित हो। अतः वर्तमान सत्र की समाप्ति तक, यदि छत्तीसगढ़ राज्य में राज्य शासन द्वारा नियम, 2010 के अनुसार कोई संविदा नियुक्ति पहले से की गई है, तो राज्य शासन को ऐसी नियुक्तियों को जारी रखने की स्वतंत्रता होगी। किन्तु अगले सत्र के लिए, यदि संविदा नियुक्ति करना आवश्यक हो, तो वही नियुक्ति यूजीसी अधिनियम की धारा 26 के अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अनुसार, यूजीसी द्वारा निर्धारित मानकों के पूर्णतः अनुरूप की जाएगी।"

16. उपर्युक्त प्रावधान, जो यूजीसी मानकों के विपरीत है, वर्तमान सत्र की समाप्ति के पश्चात प्रभावी नहीं रहेंगे और यदि उपर्युक्त निर्देशों के अनुसार संशोधन नहीं किया जाता है, तो यूजीसी द्वारा निर्धारित जो भी मानक विनियमों के माध्यम से निर्धारित किए गए हैं, उनका पालन किया जाएगा।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. तथापि, हमारा मत है कि उच्च शिक्षा में अस्थायी नियुक्ति या संविदा नियुक्ति की प्रणाली को यथासंभव न्यूनतम किया जाना चाहिए, परंतु यदि यह संभव न हो और तात्कालिकता या अंतराल भरने हेतु नियुक्तियों की आवश्यकता हो, तो ऐसी नियुक्तियाँ वर्तमान नियमों के अनुसार की जा सकती हैं, जिनके संबंध में हमने अगले सत्र के लिए यूजीसी मानकों के अनुरूप संशोधन करने का निर्देश दिया है।

18. उपर्युक्त टिप्पणी एवं निर्देशों के साथ, ये सभी रिट याचिकाएँ निराकृत की जाती हैं। पूर्व में प्रदत्त अंतरिम राहत समाप्त की जाती है।

19. प्रकरणों की परिस्थितियों एवं तथ्यों को देखते हुए, व्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया जा रहा है।

हस्ताक्षरित –

आई. एम. क़ुद्दूसी

न्यायाधीश

हस्ताक्षरित-

ऐन.के अग्रवाल

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है कि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translation By Uday Singh

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur